



2026:AHC:64837

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10488 / 2026

मान सिंह एवं अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: देवेंद्र सिंह

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए., शरद कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेंद्र सिंह, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री शरद कुमार श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री राम कुमार वर्मा को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदकगण को मुकदमा अपराध संख्या 193/2025 अंतर्गत धारा 103(1), 110, 191(2), 191(3), 115(2), 351(3), 352 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - हाथगांव, जिला - फतेहपुर में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर में आवेदक सहित नौ अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। यहां तक कि घायल हरि प्रसाद ने भी किसी भी अभियुक्तों के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मृतक को महत्वपूर्ण अंगों पर तीन चोटें आई थीं और उन चोटों को पहुंचाने में आवेदक सहित किसी भी अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। आगे प्रस्तुत

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया कि हरि प्रसाद को तीन सामान्य चोटें आई हैं। इसलिए, आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि कथित हथियार वीरू यादव और उमा देवी से बरामद किया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदकगण विधि का पालन करने वाले नागरिक हैं और वे 1.12.2025 से जेल/कारागार में हैं। यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

4. प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदकगण - **मान सिंह और सत्येन्द्र** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उनके व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

1. आवेदकगण मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- II. आवेदकगण बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - III. आवेदकगण जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - IV. आवेदकगण को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदकगण और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकगण को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसकी पुष्टि संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ की जाएगी कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदकगण की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।
11. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटू रिट पिटीशन (सीआरएल.) संख्या 4 / 2021 दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित** के मामले में कार्यालय को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के द्वारा आवेदकगण को इस आदेश की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया जाता है।

मार्च 28, 2026

एस.सी.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।